ग्राम न्यायालय इटवा, तहसील इटवा, जिला–सिद्धार्थनगर।

उपस्थितः–सौम्या द्विवेदी, उ०प्र० न्यायिक सेवा।

जे०ओ०कोड–U.P.3353

मूलवाद संख्या–11/2016

1–शमशुल्लाह उम्र लगभग–80 वर्ष

पुत्र–चिन्नू, निवासी ग्राम–मैना, तप्पा–कोट, परगना–बांसी पश्चिम, तहसील–इटवा, जिला–सिद्धार्थनगर।

-----**(वादी)**

बनाम

1–राघव प्रसाद उम्र लगभग–60 वर्ष पुत्र पहली,

2–श्रीमती कमला देवी उम्र लगभग–55 वर्ष पत्नी राघव प्रसाद,

3–श्रीमती प्रानदेवी उम्र लगभग–40 वर्ष, पत्नी किशोरी,

4–अब्बास उम्र लगभग–60 वर्ष, पुत्र फत्ते मोहम्मद,

निवासी ग्राम–मैना, तप्पा–कोट, परगना–बांसी पश्चिम, तहसील–इटवा, जिला–सिद्धार्थनगर।

(----प्रतिवादीगण)

निर्णय

1– प्रस्तुत वाद, वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है।

2– संक्षेप में वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से यह कथन किया गया है कि वादी ग्राम–मैना, तप्पा–कोट, परगना–बांसी पश्चिम, तहसील–इटवा, जिला–सिद्धार्थनगर का निवासी है तथा विवादित ग्राम मैना में कार्यवाही चकबन्दी चलकर धारा 52 चकबन्दी अधिनियम का प्रकाशन हो चुका है। वादी भूमि क्षेत्र संख्या 109/0.4770 हे0 स्थित ग्राम मैना, तप्पा–कोट, परगना– बांसी पश्चिम, तहसील इटवा जिला सिद्धार्थनगर का भूमिधर मालिक बकब्जा है तथा राजस्व अभिलेखो में भी वादी का नाम अंकित है। विवाद स्थल की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वाद–पत्र के अन्त में एक मानचित्र अंकित किया गया है जिसमें विवादित भूमि क्षेत्र संख्या 109/0.4770 हे० स्थित ग्राम मैना उपरोक्त को अक्षर ABCD से प्रदर्शित किया गया है। जिसमें वादी ने विवादित भूमि के जुज हिस्से में बुनियाद भी बनाया है तथा उक्त भूमि में ही वादी के नस्ब किये हुए तीन पेड़ शीशम वो दो पेड़ आम भी स्थित है, तथा

Digitally signed by SAUMYA DWIVEDI
Date: 2026.07.01 15:26:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विवादित भूमि के अगल बगल के चीजों को मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। प्रतिवादीगण से विवादित भूमि क्षेत्र संख्या 109/0.4770 हे० प्रदर्शित असर ABCD मानचित्र वादपत्र से कभी किसी प्रकार का कोई वास्ता वो सरोकार न था और न है। उपरोक्त कथन व विवरण से स्पष्ट है कि वादी विवादित भूमि क्षेत्र संख्या 109/0.4770 हे० प्रदर्शित अक्षर ABCD मानचित्र वाद–पत्र के भूमिधर मालिक वकब्जा है और राजस्व अभिलेखों में भी वादी का नाम अंकित है तथा विवादित भूमि पर वादी मालिक काबिज दखील है। वादी साधनहीन, गरीब व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण वर्तमान समय में राजनीतिक रूप से काफी सबल हैं। तथा उन्हें अपने धन आदि का काफी घमण्ड है तथा हमेशा दूसरों के जायदाद को हड़पने की फिराक में लगे रहते हैं और इसी सिलसिले में वे वादी के भूमि को भी हड़प लेने के फिराक में हैं। चूंकि वर्तमान समय में विवादित भूमि काफी कीमती हो गयी है और प्रतिवादीगण ग्राम विवादित में तमाम असामाजिक तत्वों की गोल कायम किए हुए हैं। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कभी किसी प्रकार का कोई वास्ता व सरोकार न था और न है। प्रतिवादीगण निहायत चालाक व सीनाजोर किस्म के प्रभावशाली व्यक्ति हैं तथा विवादित भूमि जो काफी कीमती है, जिस पर प्रतिवादीगण कुदृष्टि लगाए हुए हैं और ऐन–केन–प्रकारेण वादी को विवादित भूमि से बेदखल करके नाजायज व गैर कानूनी तरीके से कब्जा दखल कर लेना चाहते हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त नाजायज इरादे में कामयाब हो गए तो उस सूरत में वादी की सख्त हक तल्फी व गैरतलाफी नुकसान होगा। वादी को विवादित भूमि के कब्जे से बेदखल करने के बावत प्रतिवादीगण को कत्तई कोई हक हासिल नहीं है। प्रतिवादीगण अर्सा लगभग दस दिन का हो रहा है, कुछ मिस्त्री मजदूरों को तथा अपने मेली गददगार को लेकर विवादित भूमि में नाजायज तरीके से निर्माण करने के लिए दाग बेल लगाना चाहे, जिस पर वादी की तरफ से ऐतराज किया गया और उन्हें दाग–बेल लगाने से मना किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण काफी उग्र होकर आमादा फौजदारी होने लगे तथा जान–माल की घुड़की–धमकी देने लगे। इस बीच झगड़ा झंझट को देखकर तमाम लोग इकट्ठा हो गए जिनके बीच–बचाव पर प्रतिवादीगण यह धमकी देते चले गए कि वह मौका गनीमत देखकर विवादित भूमि से वादी को बेदखल करके उस पर कब्जा कर लेंगे। प्रतिवादीगण के विरुद्ध उपरोक्त वाक्ये को लेकर थाना मुकामी में रपट लिखावाने गये लेकिन मुकामी पुलिस ने यह आश्वासन दिया कि वह मौके पर आएंगे और जाँच करके तब कार्रवाई करेंगे लेकिन आज तक मुकामी पुलिस न तो मौके पर आई और न ही प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई कार्रवाई ही किया। जिससे प्रतिवादीगण काफी दिलेर हो गए हैं और आये दिन विवादित भूमि को कब्जा करने की धमकी देते हैं। उपरोक्त कथन व विवरण से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के मालिक व कब्जा वादी है जिससे प्रतिवादीगण से कभी कोई वास्ता वो सरोकार न था और न है। ऐसी सूरत में वादी, प्रतिवादीगण को न्यायालय के स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति के द्वारा सदा के लिए मना करवा पाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि क्षेत्र सं0–109/0.4770 हे० प्रदर्शित अक्षर ABCD मानचित्र वादपत्र के ऊपर वादी के शान्तिपूर्ण

अधिपत्य व अध्यासन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करे, जिसके लिए प्रस्तुत वाद दाखिल किया जा रहा है। प्रस्तुत वाद का कारण बाद पहला हफ्ता माह जनवरी सन् 2015 रोज इरादा बावत, करने चेष्टा, लगाने दागबेल व करने चेष्टा कब्जा अन्दर विवादित भूमि द्वारा प्रतिवादीगण स्थित ग्राम–मैना तप्पा–कोट, परगना बांसी पश्चिम, तहसील इटवा, जिला सिद्धार्थनगर अन्दर हद अख्तियार समायत अदालत हाजा उत्पन्न हुई।

3– प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र कागज संख्या–28क1 के माध्यम से वाद पत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुए यह कथन किया गया कि वादी को कोई कारण वाद स्वत्व खिलाफ हम प्रतिवादीगण फरीक अव्वल हासिल व पैदा नहीं है। वादी एकदम गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर दावा हाजा दाखिल किया है, जिसमें कोई असलियत नहीं है। वादी द्वारा अपने अर्जी दावा के अन्त में विवाद स्थल का गलत नक्शा नजरी दिखाकर एकपक्षीय रूप से निषेधाज्ञा हासिल कर लिये हैं, जिसमें नाम मात्र की सत्यता नहीं है जो निरस्त होने योग्य है। गाटा 110/0.100 हे० साकिन मैना, तप्पा–कोट, परगना बांसी पश्चिम, तहसील इटवा, जिला सिद्धार्थनगर में प्रतिवादी स० 4 की पत्नी तलमुन्निशा ने रामसेवक से पं० बैनामा लिया और बतौर सहसंक्रमणीय भूमिधर सरकारी अभिलेख खतौनी में नाम दर्ज कागजात हुआ, जिनकी मृत्यु हो गयी, मृतक के वारिस का नाम अभिलेख में दर्ज है। विवादित जमीन आराजी नं० 109/0.477 हे० की मेड़ो को अगल–बगल के कास्तकारों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसके सीमांकन के लिये न्यायालय उपजिलाधिकारी इटवा सिद्धार्थनगर के यहाँ वाद विचाराधीन है उक्त मुकदमें की कार्यवाही को रोकने के लिये श्रीमान के समक्ष वाद दाखिल कर एकपक्षीय रूप से निषेधाज्ञा प्राप्त कर लिये है। विवादित भूमि की मौके पर रक्बा में परिवर्तन है एवं विवादित भूमि के उत्तर से दक्षिण चकमार्ग है तथा पूरब से पश्चिम नहर की पटरी है तथा उत्तर तरफ के गाटा 110/0.100 हे० के काश्तकारों की भूमि है जिस पर काबिज दाखिल है, इसलिए दावा वादी निरस्त होने योग्य है। विवादित भूमि में वर्तमान समय में कितने रक्बे पर ऊंची दीवार बना लिये हैं वाद पत्र में नहीं लिखा गया है प्रतिवादीगण ने विरोध किया कि न्यायालय उपजिलाधिकारी इटवा सिद्धार्थनगर के न्यायालय में विचाराधीन वाद का निस्तारण हो जाये तब नींव बनावे, लेकिन वादी मानने को तैयार नहीं हुआ वादी ने अपने बचाव के लिये न्यायालय हाजा में वाद दाखिल कर दिये। यदि वादी अपने मंशा में कामयाब हो गया तो अपूर्तिनीय क्षति प्रतिवादी सं० 4 कि होगी तथा सुख सुविधा हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगा । अतः दावा वादी निरस्त किए जाने योग्य है।

04 उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक–17.05.2025 को वाद बिन्दु विरचित किया गया। न्यायालय द्वारा विरचित वाद बिन्दू इस प्रकार हैः–

1– क्या वादी का वाद पत्र के नक्शानजरी में प्रदर्शित विवादित भूमि अक्षर A, B, C, D, गाटा संख्या–109/0.4770 हे० पर स्वत्व व अध्यासन है?

2–क्या दावा वादी अल्प मूल्यांकित है?

3–क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

4–क्या वादी का वाद काल बाधित है?

5–क्या दावा वादी विबंधन व मौन सम्मति के सिद्धान्त से बाधित है?

6–क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 3 सी.पी.सी. से बाधित है?

7–क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 14 सी.पी.सी. से बाधित है?

8–क्या वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ?

9– क्या वादी का वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष से बाधित है?

10–क्या प्रतिवादीगण खर्चा मुकदमा हस्ब दफा 35(A) जा०दी० वादी से पाने के अधिकारी हैं?

11–क्या दावा वादी धारा–34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

12– क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का हकदार है?

05 वाद पत्र के कथनों के समर्थन में वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में किसी भी साक्षी का साक्ष्य शपथ पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची सबूत कागज संख्या–11 ग 1 के माध्यम से नकल इन्तखाब खतौनी कागज संख्या–12 ग 1/1 ता 12 ग 1/2, नकल इन्तखाब खसरा कागज संख्या–13 ग 1, छायाप्रति नक्शा कागज संख्या–14 ग 1 प्रस्तुत किया गया है।

06– प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के कथनों के समर्थन में सूची सबूत कागज संख्या–32 ग 1 के माध्यम से नकल खसरा बावत गाटा संख्या–110/0.100 हे० कागज संख्या–33 ग 1, नकल खतौनी बावत गाटा संख्या–110/0.100 हे० कागज संख्या–34 ग 1 दाखिल किया गया है। प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में किसी भी साक्षी का साक्ष्य शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है।

07– पत्रावली पर कमीशन आख्या कागज संख्या–20 ग 2 मय नक्शा कागज संख्या–21 ग 2 व फील्ड बुक कागज संख्या–22 ग 2 उपलब्ध है, जिसे दिनांक–21.05.2026 को साक्ष्याधीन पुष्ट किया जा चुका है।

उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। उनके द्वारा कोई बहस नहीं की गयी। अतः उनके बहस का अवसर समाप्त किया गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या– 1

08– वाद बिन्दु संख्या–01 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी का वादपत्र के नक्शानजरी में प्रदर्शित विवादित भूमि अक्षर A, B, C, D, गाटा संख्या–109/0.4770 हे० पर स्वत्व व अध्यासन है?

09– उपरोक्त वाद बिन्दु वादी के वादपत्र के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है, अतः इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा अपने वाद पत्र कागज संख्या–4 क 1 के माध्यम से यह कथन किया गया है कि वह ग्राम मैना, तप्पा– कोट, परगना– बांसी पश्चिम, तहसील इटवा जिला सिद्धार्थनगर का निवासी है तथा विवादित ग्राम मैना में चकबन्दी की कार्यवाही व धारा–52 चकबन्दी अधिनियम का प्रकाशन हो चुका है। वादी विवादित भूमि गाटा संख्या– 109/0.4770 हे0 का मालिक काबिज है व राजस्व अभिलेखों में उसका नाम अंकित है। विवादित भूमि को वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा–नजरी में अक्षर ए.बी.सी.डी. से प्रदर्शित किया गया है। जिसके जुज हिस्से में बुनियाद भी बनाया है, उक्त भूमि में ही वादी के नस्ब किये हुए तीन पेड़ शीशम व दो पेड़ आम भी स्थित है तथा विवादित भूमि के अगल बगल के चीजों को मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कोई वास्ता सरोकार नहीं है तथा वह अपनी सरकसी के बल पर विवादित भूमि के हड़पने के प्रयास में हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने नाजायज मंशा में सफल हो गया तथा विवादित भूमि पर अपना अवैधानिक कब्जा दखल कर लिया तो वादी को अपूर्तिनीय क्षति कारित होगी। अतः जरिए स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को विवादित भूमि गाटा संख्या–109/0.4770 हे0 जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर ए.बी.सी.डी. से प्रदर्शित किया गया है पर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से सदैव के लिए निषेधित किए जाने की याचना की गयी है।

10– वादी द्वारा अपने वाद पत्र के कथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची सबूत कागज संख्या–11 ग 1 के माध्यम से नकल खतौनी कागज संख्या–12 ग 1, नकल खसरा कागज संख्या–13 ग 1 व छायाप्रति नक्शा चकबन्दी ग्राम–मैना, परगना–बांसी पश्चिम, तहसील–इटवा कागज संख्या–14 ग 1/1 तथा 14 ग 1/2 प्रस्तुत किया गया है। वादी ने मौखिक साक्ष्य के रूप में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

11– वादी द्वारा अपने वादपत्र में किए गए कथनों के खण्डन में प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा अपना जवाबदावा कागज संख्या–28 क 1 प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि वादी एकदम गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर दावा दाखिल किया है। गाटा संख्या–110/0.100 हे० में प्रतिवादी संख्या–4 की पत्नी तलमुन्निशा ने रामसेवक से पंजीकृत बैनामा लिया और बतौर सहसंक्रमणीय भूमिधर सरकारी अभिलेख खतौनी में

नाम दर्ज कागजात हुआ। तलमुन्निशा की मृत्यु हो गयी तथा मृतका के वारिस अभिलेख में दर्ज है। विवादित जमीन आराजी नं०–109/0.477 हे० की मेड़ों को अगल–बगल के कास्तकारों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसके सीमांकन के लिये न्यायालय उपजिलाधिकारी इटवा सिद्धार्थनगर के यहाँ वाद विचाराधीन है, उक्त मुकदमें की कार्यवाही को रोकने के लिये श्रीमान के समक्ष वाद दाखिल कर एकपक्षीय रूप से निषेधाज्ञा प्राप्त कर लिये है। विवादित भूमि की मौके पर रक्बा में परिवर्तन है एवं विवादित भूमि के उत्तर से दक्षिण चकमार्ग है तथा पूरब से पश्चिम नहर की पटरी है तथा उत्तर तरफ के गाटा 110/0.100 हे० के काश्तकारों की भूमि है जिस पर वह काबिज दाखिल है, इसलिए दावा वादी निरस्त होने योग्य है। वादी विवादित भूमि में वर्तमान समय में कितने रक्बे पर ऊंची दीवार बना लिये हैं यह वाद पत्र में नहीं लिखा गया है, जब प्रतिवादीगण ने विरोध किया कि न्यायालय उपजिलाधिकारी इटवा सिद्धार्थनगर के न्यायालय में विचाराधीन वाद का निस्तारण हो जाये तब नींव बनावे, लेकिन वादी मानने को तैयार नहीं हुआ। वादी अपने बचाव के लिये न्यायालय हाजा में वाद दाखिल कर दिये यदि वादी अपने मंशा में कामयाब हो गया तो प्रतिवादी सं० 4 की अपूर्तिनीय क्षति होगी तथा सुख सुविधा हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगा । अतः दावा वादी निरस्त किए जाने योग्य है।

12– प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के कथनों के समर्थन में सूची सबूत कागज संख्या–32ग1 के माध्यम से नकल खसरा बावत गाटा संख्या–110/0.100 हे० कागज संख्या–33ग1, नकल खतौनी बावत गाटा संख्या–110/0.100 हे० कागज संख्या–34ग1 दाखिल किया है। प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में किसी भी साक्षी का साक्ष्य शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है।

13– सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र, प्रतिवाद पत्र व समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों का परिशीलन किया। प्रस्तुत वाद वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है। जिस हेतु सर्वप्रथम वादी को विवादित भूमि पर अपना स्वत्व व अध्यासन साबित करना होगा। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा अपने वाद पत्र के कथनों के समर्थन में सूची सबूत कागज संख्या–11ग1 के माध्यम से नकल खतौनी कागज संख्या–12ग1 व नकल खसरा 13ग1 बावत गाटा संख्या–109/0.477 हे० प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त दोनों अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि गाटा संख्या–109/0.477 हे० पर वादी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज रजिस्टर है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा अपने वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा–नजरी में विवादित भूमि को अक्षर ए.बी.सी.डी. से प्रदर्शित किया गया है। जिसके उत्तर जमीन अब्बास, पश्चिम जमीन चीना, दक्षिण नहर व पूरब उत्तर–दक्षिण जाता हुआ रास्ता प्रस्तुत किया गया है। जिसे साबित करने हेतु वादी द्वारा सूची सबूत कागज

संख्या–11ग1 के माध्यम से छायाप्रति नक्शा चकबन्दी मौजा– मैना, तप्पा–कोट, परगना–बांसी–पश्चिम, तहसील इटवा कागज संख्या–14ग1/1 तथा 14ग1/2 प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त चकबन्दी नक्शे में विवादित भूमि गाटा संख्या–109 की चौहद्दी के तौर पर उत्तर गाटा संख्या–110, पूरब खड़न्जा मार्ग, पश्चिम गाटा संख्या–108 व दक्षिण नहर का स्थित होना प्रदर्शित है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत नकल चकबन्दी नक्शा कागज संख्या–14ग 1/2 के माध्यम से वादी द्वारा अपने वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा–नजरी में प्रदर्शित विवादित भूमि की वस्तुस्थिति व चौहद्दी साबित होती है तथा इस प्रकार नकल चकबन्दी नक्शा व वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा नजरी में समरूपता परिलक्षित होती है। इस स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध कमीशन रिपोर्ट कागज संख्या–55ग2 मय नक्शा कागज संख्या–56ग2 का तुलनात्मक अध्ययन वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा नजरी से किया जाना समीचीन होगा। कमीशन नक्शे कागज संख्या– 56ग2 में विवादित भूमि को अक्षर ए.बी.सी.डी. से प्रदर्शित किया गया है, जिसके उत्तर खेत अब्बास, पूरब खड़न्जा मार्ग को प्रदर्शित किया गया है तथा पश्चिमी व दक्षिणी चौहद्दी को स्पष्ट नहीं किया गया है। विवादित भूमि में पूर्वी तरफ जमीन के ऊपर 14 व 12 रद्दे की दीवाल व आम के वृक्षों का स्थित होना प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त नक्शे का तुलनात्मक अध्ययन वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा–नजरी से करने पर न्यायालय यह पाती है कि वादी द्वारा विवादित भूमि के उत्तर खेत अब्बास, पश्चिम खड़न्जा मार्ग, पश्चिम चीना व दक्षिण नहर को प्रदर्शित किया गया, जबकि कमीशन नक्शे में मात्र उत्तरी हिस्से में खेत अब्बास व पूर्वी हिस्से में खड़न्जे को प्रदर्शित किया गया है, जिससे वादी द्वारा प्रदर्शित विवादित भूमि की चौहद्दी पुष्ट होती है, इसके अतिरिक्त वादी द्वारा अपने वादपत्र के पैरा–3 में किया गया कथन कि वादी ने विवादित भूमि की जुज हिस्से में बुनियाद भी बनवाया है व उक्त भूमि में ही वादी के नस्ब किए हुए पेड़ आम व शीशम स्थित हैं, की पुष्टि भी कमीशन नक्शे में विवादित भूमि के पूर्वी हिस्से में प्रदर्शित 14 व 12 रद्दे की दीवाल, पीलर व आम के वृक्षों के स्थित होने से होती है। इस प्रकार कमीशन आख्या मय नक्शे से वादी द्वारा अपने वाद में किए गए कथन व अपने नक्शा नजरी में प्रदर्शित विवादित भूमि की स्थिति की पुष्टि होती है। जहाँ तक प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में किए गए कथन कि विवादित भूमि की जमीन गाटा संख्या–109 के मेड़ों को अगल बगल के काश्तकारों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसका सीमांकन के लिए न्यायालय उपजिलाधिकारी इटवा, सिद्धार्थनगर के यहाँ वाद विचाराधीन है, का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के कथनों के समर्थन में कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादित भूमि से सम्बन्धित कोई वाद न्यायालय उपजिलाधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा मात्र अपने स्वत्व की भूमि गाटा संख्या–110 के बावत सूची सबूत 32ग1 के माध्यम से नकल खसरा–33ग1, नकल खतौनी कागज संख्या–34ग1 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलोकन से

स्पष्ट होता है कि गाटा संख्या–110 पर प्रतिवादी संख्या–4 का नाम अन्य संक्रमणीय खातेदारों के साथ बतौर संक्रमणीय भूमिधर के तौर पर दर्ज रजिस्टर है, परन्तु प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा विवादित भूमि पर वादी के स्वत्व व अध्यासन न होने को साबित करने हेतु कोई भी अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14– यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर प्रतिपादित विधि व्यवस्था की चर्चा किया जाना समीचीन होगा। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने विधि–व्यवस्था **मंगरू (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम उपनिदेशक चकबन्दी बस्ती एवं अन्य 2012 (116) RD112,** में यह अवधारित किया है कि खतौनी स्वामित्व के निर्धारण के लिए उच्च साक्ष्य मूल्य प्राप्त है। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था–**गुरू बक्श सिंह बनाम निक्का सिंह–1963 सप्ली (I),SCR55** का उल्लेख करना समीचीन होगा, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राजस्व अभिलेख में नामान्तरण से प्रभावित है तो विधि अनुसार उसे उस तथ्य को चुनौती देना चाहिए अन्यथा ऐसे इन्द्राज/प्रवृष्टियाँ सही मानी जायेगी।

15– **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद** द्वारा पारित विधि व्यवस्था **शान्ती बाई बनाम नरवदास व अन्य** Second Appeal No. 166 of 1977 में यह अवधारित किया है कि "When a documentary evidence in respect of certain facts is produced oral evidence has to sub serve the same and documentary evidence has to prevail"

16– प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विवादित भूमि पर स्वत्व व अध्यासन के सम्बन्ध में वाद पत्र में किए गए कथनों के खण्डन में कोई भी मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि वादी विवादित भूमि पर अपने स्वत्व व अध्यासन को साबित कर पाने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। इस प्रकार वाद बिन्दु संख्या–1 वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–2 व 3

17– वाद बिन्दु संख्या–2 व 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी अल्प मूल्यांकित है व प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है? इन वाद बिन्दुओं को प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है। अतः साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

18– इन वाद बिन्दुओं का निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक–19–07–2025 को किया जा चुका है जो निर्णय का अंश होगा।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–4</u>

19– वाद विन्दु संख्या–04 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी का वाद कालबाधित है? यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है, जिसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

20– इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा न तो कोई कथन किया गया है, न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिससे आधार पर यह कहा जा सके कि वादी का वाद कालबाधित है। अतः वाद बिन्दु संख्या–04 नकारात्मक रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–5</u>

21– वाद बिन्दु संख्या–5 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी विबन्धन व मौन सम्मति के सिद्धान्त से बाधित है? यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है। अतः साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

22– इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि दावा वादी विबन्धन व मौन सम्मति के सिद्धान्त से बाधित है। अतः वाद बिन्दु संख्या–5 नकारात्मक रूप से विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–6</u>

23– वाद बिन्दु संख्या–6 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 3 सी.पी.सी. से बाधित है? यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है। अतः साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

24– इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा न तो कोई कथन किया गया है, न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि दावा वादी आदेश 7 नियम 3 सी.पी.सी. से बाधित है। अतः वाद बिन्दु संख्या 06 नकारात्मक रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–7</u>

25– वाद बिन्दु संख्या–7 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 14 सी.पी.सी. से बाधित है? यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है। अतः साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

26– इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा न तो कोई कथन किया गया है, न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिससे आधार पर यह कहा जा सके कि दावा वादी आदेश 7 नियम 14 सी.पी.सी. से बाधित है। अतः वाद बिन्दु संख्या 07 नकारात्मक रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–8

27– वाद बिन्दु संख्या–8 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है? यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है। अतः साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

28– इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा न तो कोई कथन किया गया है, न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिससे आधार पर यह कहा जा सके कि वादी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अतः वाद बिन्दु संख्या 08 नकारात्मक रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–9

29– वाद बिन्दु संख्या–9 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी का वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष से बाधित है? यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है। अतः साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

30– इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा न तो कोई कथन किया गया है, न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिससे आधार पर यह कहा जा सके कि वादी का वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष से बाधित है। अतः वाद बिन्दु संख्या 09 नकारात्मक रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–10

31– वाद बिन्दु संख्या–10 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रतिवादीगण खर्चा मुकदमा हस्ब दफा–35(A) वादी से पाने के अधिकारी हैं? यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है। अतः साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

32– इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा न तो कोई कथन किया गया है, न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि प्रतिवादीगण खर्चा मुकदमा हस्ब दफा–35(A) वादी से पाने के अधिकारी हैं। अतः वाद बिन्दु संख्या–10 नकारात्मक रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–11

33– वाद बिन्दु संख्या–11 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी धारा–34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है? यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है। अतः साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

34– इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा न तो कोई कथन किया गया है, न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिससे आधार पर यह कहा जा सके कि दावा वादी धारा–34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है। अतः वाद बिन्दु संख्या–11 नकारात्मक रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दू संख्या–12</u>

35– वाद बिन्दु संख्या–12 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का हकदार है?

36– वाद बिन्दु संख्या–1 के निस्तारण से यह स्पष्ट है कि वादी विवादित भूमि पर अपना स्वत्व व अध्यासन साबित करने में सफल रहा है, परन्तु वादी द्वारा किसी अन्य अनुतोष के बावत न तो बल दिया गया है और न ही किसी साक्ष्य के माध्यम से उसे साबित किया गया है। अतः वाद बिन्दु संख्या–12 तद्नुसार निर्णीत किया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रस्तुत वाद वादी के पक्ष में निर्णीत किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद संख्या–11/2016 शमसुल्लाह बनाम राघव आदि वादी के पक्ष में आज्ञप्त किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि गाटा संख्या–109/0.4770 हे० जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर ए.बी.सी.डी.से प्रदर्शित किया गया है, पर किसी भी प्रकार का अवैधानिक कब्जा–दखल करने से सदैव के लिए निषेधित किया जाता है। उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। अमीन रिपोर्ट कागज संख्या–55 ग 1 मय नक्शा कागज संख्या–56 ग 1 इस निर्णय का अंश होगा।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–01.07.2026

(सौम्या द्विवेदी),
ग्राम न्यायालय इटवा,
सिद्धार्थनगर।
जे०ओ०कोड–यू०पी०–3353

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में टंकित, शुद्धीकृत एवं हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

दिनांक–01.07.2026

(सौम्या द्विवेदी),
ग्राम न्यायालय इटवा,
सिद्धार्थनगर।
जे०ओ०कोड–यू०पी०–3353

-

-